तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
20/7/18	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 13/11/18 को पेश हो।	
13/11/18	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 17-1-19 को पेश हो।	
17-1-19	वकुलाय उप/ प्रा-पत्र 0-7-R-11 CPC पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 24-1-19 को पेश हो।	
24-1-19	वकुलाय उप/ प्रा-पत्र 0-7-R-11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। 24-1-19 उपखण्ड अधिकारी निवाई	

1/ 1 इमाम ब...
वल्द पेशा ...
1/1 मोहम्मद
खिजरी
1/2 शब्बीर
खिजरी
1. जहूर मो...
जाति मु...
निवाई
2. तह...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :–247/2012
निर्णय दिनांक:–24.01.2019

उनवान

~~1. इमामबक्श पुत्र अजमेरी जाति मुसलमान बंजारा निवासी खिडगी तह. निवाई जिला टोंक हॉल निवासी निवाई~~

1/1 मोहम्मद पुत्र इमामबक्श जाति मुसलमान बंजारा निवासी खिडगी तह. निवाई जिला टोंक
1/2 शब्बीर पुत्र इमामबक्श जाति मुसलमान बंजारा निवासी खिडगी तह. निवाई जिला टोंक

–वादी

बनाम

1. जहूर मोहम्मद तथाकथित पुत्र घीसा शाह पुत्र नजीर शाह जाति मुसलमान निवासी निवाई तह. निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व उद्घोषणा
उपस्थितः– श्री अबरार अहमद वकील वादी
श्री कौशल किशोर चौधरी वकील प्रतिवादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी इमामबक्श ने आराजी ख.नं. 3562 में एक भूखण्ड लादू पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सोहेला से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया तथा विक्रय पत्र की रजिस्ट्री तहसील सब रजिस्ट्रार कार्यालय निवाई में दिनांक 21.6.1982 को हुई बाद रजिस्ट्री वादी ने उक्त भूखण्ड पर मौके पर जाकर कब्जा प्राप्त किया और अब वादी इस भूखण्ड पर भौतिक एवं मानसिक रूप से काबिज है। प्रतिवादी के प्राकृतिक पिता नजीर शाह है उसने घीसा शाह का फर्जी पुत्र बनकर कृषि भूमि ख.नं. 3562 रकबा 01–17 बीघा का नामांतकरण राजस्व विभाग से मिस रिप्रजेन्टेशन करके नामांतकरण भरवा लिया क्योंकि मुसलिम लॉ में गोद का कोई प्रावधान नहीं है और घीसा शाह लाओलाद फोत हुआ था तथा उसकी मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति राज्य सरकार में समाहित होनी चाहिए थी परन्तु प्रतिवादी ने उक्त सम्पत्ति को गलत रूप स` अपने नाम दर्ज करवाकर राज्य सरकार को लाखों रूपये की हानि पहुंचाते हुए लाखों रूपये के भूखण्ड गलत रूप से विक्रय कर दिये। अब वादी के भूखण्ड को हथियाना चाहता है। जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि वह वादी के भूखण्ड ख.नं. 3562 जिसके चारों तरफ पुख्ता बाउन्ड्री भरी हुई है में किसी प्रकार मजाहमत पैदा नहीं करें। सन् 1982 से कब्जा होने के कारण वादी को भूखण्ड का खातेदार घोषित किया जावे।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 3560 रकबा 01–17 बीघा वाके कस्बा निवाई में प्रार्थी प्रतिवादी जहूर मोहम्मद के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है जिससे वादी इमामबक्श का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। वादी इमामबक्श ने मान्य न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य अंकित कर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

झूठा वाद प्रस्तुत का न्यायालय को भ्रमित कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है तथा उक्त झूठे वाद की आड में वादी प्रार्थी प्रतिवादी की भूमि को हडपना चाहता है जबकि वादी इमामबक्श द्वारा ख.नं. 3562 में से एक भूखण्ड दिनांक 21.6.1982 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करना बताया है वह भूमि अलग भूमि है जिससे प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता यह है कि वादी इमामबक्श उक्त भूखण्ड बिना कब्जा प्राप्त किये क्रय किया गया था और ना ही वादी इमामबक्श का विवादित स्थान पर कब्जा रहा। प्रतिवादी ने पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था। जिसे मान्य न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार किया गया था। जिसकी अपील वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है और नया वाद पेश कर दिया गया। अतः प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का उक्त वाद पत्र वादकारण के अभाव में खारिज फरमाया जावे। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया। जवाब में निवेदन किया कि वादी इमामबक्श द्वारा दिनांक 21.6.1982 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूखण्ड वाके ख.नं. 3562 कस्बा निवाई में क्रय किया गया है। प्रतिवादी का भूखण्ड ख.नं. 3560 में है जो वादी के भूखण्ड के दक्षिण में सटवा स्थित है। उसका दुरूपयोग कर वह प्रार्थी की भूमि को गलत रूप से हडपना चाहता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी जहूर का प्राकृतिक पिता नजीर शाह है घीसा शाह का फर्जी पुत्र बनकर ख.नं. 3560 रकबा 01–17 बीघा का धोखा देकर गलत रूप से नामान्तकरण अपने नाम भरा लिया। अतः जवाब प्रा.पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 3560 रकबा 01–17 बीघा वाके कस्बा निवाई में प्रार्थी प्रतिवादी जहूर मोहम्मद के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है जिससे वादी इमामबक्श का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। वादी इमामबक्श ने मान्य न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य अंकित कर उक्त झूठा वाद प्रस्तुत का न्यायालय को भ्रमित कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है तथा उक्त झूठे वाद की आड में वादी प्रार्थी प्रतिवादी की भूमि को हडपना चाहता है जबकि वादी इमामबक्श द्वारा ख.नं. 3562 में से एक भूखण्ड दिनांक 21.6.1982 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करना बताया है वह भूमि अलग भूमि है जिससे प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता यह है कि वादी इमामबक्श उक्त भूखण्ड बिना कब्जा प्राप्त किये क्रय किया गया था और ना ही वादी इमामबक्श का विवादित स्थान पर कब्जा रहा। प्रतिवादी ने पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था। जिसे मान्य न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार किया गया था। जिसकी अपील वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है और नया वाद पेश कर दिया गया। अतः निवेदन है कि वादी का उक्त वाद पत्र वादकारण के अभाव में खारिज फरमाया जावे। वकील वादी ने बहस में निवेदन किया कि वादी इमामबक्श द्वारा दिनांक 21.6.1982 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूखण्ड वाके ख.नं. 3562 कस्बा निवाई में क्रय किया गया है। प्रतिवादी का भूखण्ड ख.नं. 3560 में है जो वादी के भूखण्ड के दक्षिण में सटवा स्थित है। उसका दुरूपयोग कर वह प्रार्थी की भूमि को गलत रूप से हडपना चाहता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी जहूर का प्राकृतिक पिता नजीर शाह है घीसा शाह का फर्जी पुत्र बनकर ख.नं. 3560 रकबा 01–17 बीघा का धोखा देकर गलत रूप से नामान्तकरण अपने नाम भरा लिया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादित भूमि का नगरपालिका द्वारा भूरूपान्तरण किया जा चुका है। भूमि न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में नहीं आती है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी अपना पट्टा बनवाने हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादी ने पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था। जिसे मान्य न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार किया गया था। उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

24/01/19

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

~~1. इमामबक्श पुत्र अजमेरी जाति मुसलमान बंजारा निवासी खिडगी तह. निवाई जिला टोंक हॉल निवासी निवाई~~

1/1 मोहम्मद पुत्र इमामबक्श जाति मुसलमान बंजारा निवासी खिडगी तह. निवाई जिला टोंक

1/2 शब्बीर पुत्र इमामबक्श जाति मुसलमान बंजारा निवासी खिडगी तह. निवाई जिला टोंक

—वादी

बनाम

1. जहूर मोहम्मद तथाकथित पुत्र घीसा शाह पुत्र नजीर शाह जाति मुसलमान निवासी निवाई तह. निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व उद्घोषणा

मुकदमा संख्या:—247/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री अबरार अहमद वकील वादी व श्री कौशल किशोर चौधरी वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी अपना पट्टा बनवाने हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादी ने पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था। जिसे मान्य न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार किया गया था। उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 01 सन् 2019 को जारी की गई।

24/1/19

उपखण्ड अधिकारी

निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner